श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 02.6.2025 को कटिहार समाहरणालय सभागार में किये गये सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कटिहार जिला के सभागार में एजेंडा के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपस्थितिः– बैठक में जिला पदाधिकारी, श्री मनेश कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक, श्री विशाल शर्मा, कमाण्डेंट, आई0टी0बी0पी0, सहित अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, PGRO, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सभी कार्यपालक अभियंता, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, जीविका एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य रूप से जिले के प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सुरक्षा व्यवस्था, भूमि सुधार, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गयी।

1. **Border Security -** कटिहार जिले का सीमा झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सटे हुए राज्य के सीमा से आपराधिक गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि कटिहार जिले में नियमित रूप से पेट्रोलिंग तथा औचक वाहन जाँच किया जाय। सभी संबंधित थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आपसी समन्वय स्थापित कर चौकीदारों एवं संबंधित अधिकारियों को सक्रिय करते हुए सतत निगरानी रखेंगे।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कटिहार)

2. **Civil Defence -** कटिहार जिला के Civil Defence Volunteer के लिए Scout Guide, NCC, नेहरू युवा केन्द्र तथा अन्य स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से वॉलंटियर्स चयनित करने का निदेश दिया गया। इस कार्य में वार्ड सदस्य, जन प्रतिनिधि तथा Civil Society को शामिल किया जाय। चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाय तथा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए अलग–अलग संगठनों के साथ बैठक कर चयन की रूपरेखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश दिया गया। सायरन क्रय के संबंध में निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से स्थल तथा Specification निर्धारित करेंगे। नियमानुसार क्रय की कार्रवाई शीघ्र की जाय। Satellite Phone के उचित उपयोग हेतु जिला/पुलिस प्रशासन के वरीय स्तर पर आवंटित करने का निदेश दिया गया।

महानिदेशक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार पटना के पत्रांक–356, दिनांक –13.05.2025 में दिये गये निदेशों का अनुपालन एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी, सिविल डिफेंस)

3. **बाढ़ पूर्व तैयारी** :– आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये सभी निदेशों का सम्यक अनुपालन करते हुए बाढ़ पूर्व सारी तैयारी कर लेने का निदेश दिया गया। सभी उपलब्ध नावों, मोटरबोट/लाइफ जैकेट, महाजाल एवं अन्य की जॉच एवं मरम्मति का कार्य कर लिया जाय। साथ ही, आवश्यकता का आकलन कर इनका यथाशीघ्र भंडारण कर लिया जाय। तटबंधों के कटाव निरोधक कार्य 03 से 04 दिन में पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया। आपदा संपूर्ति पोर्टल के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि संभावित बाढ़–2025 हेतु तैयार डाटाबेस का सत्यापन कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि आपदा संपूर्ति पोर्टल पर पूर्व से अपलोड किये गये लाभुकों की सूची का अद्यतीकरण समय रहते शीघ्र कर लिया जाय। ताकि, बाद मे अनावश्यक कठिनाई से बचा जा सके। इसके अलावे, बाढ़ आश्रय स्थल/सामुदायिक रसोई स्थल का चयन, राहत खाद्य सामग्री, पशुचारा, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक तैयारी यथाशीघ्र कर ली जाय एवं सभी तटबंधो को मोटरेबुल बनाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर ली जाय।

4. **महिला संवाद, आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम तथा डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियानः–** महिला संवाद अन्तर्गत महिलाओं की आकांक्षाओं पर आधारित प्रमुख बिन्दुओं की रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नगर निकाय अन्तर्गत 'आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम' का आयोजन दिनांक–15.04.2025 से 28.05.2025 तक कुल–27 स्थानों पर किया गया है एवं इस क्रम में प्राप्त आवेदनों की स्थलीय जॉच कराई जा रही है। जॉचोपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–19.05.2025 से दिनांक–31.05.2025 तक के प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की संख्या–30291 में से निष्पादित आवेदनों की संख्या–20375 है, जो 67.26 प्रतिशत है। इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर समुचित रूप से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट करते हुए सभी वंचित पात्रता प्राप्त लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया। सभी स्तर के पदाधिकारी को अपने नैतिक दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करने का निदेश दिया गया।

5. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** :– सैरात बदोबस्ती, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा–2, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन की जमाबंदी, वर्ष 2000 के पूर्व लंबित राजस्व वादों का निष्पादन, 0–5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लंबित मामले तथा भू–अर्जन के लंबित मामले के स्थिति की समीक्षा की गयी। अभियान बसेरा–2 के तहत कटिहार जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों का सर्वे कार्य तथा वंचितो को भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा की गयी। कटिहार अंचल में 252 सर्वेक्षित परिवारों में से 110 सर्वेक्षित परिवारों को Not Fit For Allotment पाया गया। गलत सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए पात्र लाभुकों को यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि अभी भी अंचल अधिकारी के स्तर से आवश्यक गंभीरता का अभाव है। पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में अंचल अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया था। किन्तु यह पाया गया कि इस संबंध में अभी तक यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता को सभी अंचल अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण–पत्र 15 दिनों के अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया गया। परिमार्जन प्लस के तहत अस्वीकृत आवेदनों पर कारण सहित आदेश अंकित करने का निदेश दिया गया। बाढ़ कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वासन हेतु जमीन उपलब्ध कराने की गति काफी धीमी है। कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई 1 माह में पूरा करने का निदेश दिया गया। संबंधित अपर समाहर्त्ता इस पर विशेष ध्यान देते हुए नियमानुसार समुचित रूप से प्रस्ताव तैयार कराते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। परिमार्जन प्लस (For Left Out Jamabandi) के निष्पादन में कटिहार जिला सबसे खराब अंतिम 05 स्थान में है, इसमें अविलंब सुधार लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा में पाया जा रहा है कि कई सैरातों में विभागीय वसूली की जा रही है तथा विभागीय वसूली में सुरक्षित जमा की राशि से काफी कम राशि की वसूली दिखायी जा रही है। समीक्षा में यह बिन्दु आया है कि विभागीय वसुली में सैरात/हाट के चिन्हित स्थल का नियमित उपयोग करने वाले लोगों से गैर सरकारी बन्दोबस्तदार की भांति वास्तविक अनुमान्य किराया की वसूली नहीं हो रही है, जिसके कारण विभागीय वसूली प्रभावित होता है। इस प्रकार की स्थिति के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि विगत दो वर्षो में ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी)

6. **राजस्व पर्षद** :– नीलाम पत्रवादों का निष्पादन, राशि वसूली की प्रगति, राजस्व न्यायालय में वादों की स्थिति तथा मासिक प्रगति की समीक्षा की गयी। दिनांक 15.05.2025 को राजस्व पर्षद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निदेश प्राप्त हुए हैं। जैसे–नीलाम पत्रवाद में Requisition authority, Certificate officers, Enforcement authority (Police Officers) तीनों अंगों के बीच समन्वय, Certificate officers द्वारा वादों की सुनवाई एवं निस्तारण, बड़े बकाये वाले वादों की Monitoring, 50-50 Highest demand वाले वादों का Monitoring सहित अन्य निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। लोक अदालत में निष्पादित वादों की सूचना Bankers के द्वारा हर हालात में Certificate officer को दी जाय।

7. **पुलिस विभागः–**

- **विधि व्यवस्था संधारणः**– विधि व्यवस्था के संबंध मे निदेश दिया गया है कि जिला अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थल यथा एयरबेस, रेलवे स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, पावर सब–स्टेशन, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का निरीक्षण कर लें। QRT Team का गठन कर सक्रिय अवस्था में रखें, ताकि आकस्मिक एवं आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। थानाध्यक्षों को नियमित रूप से क्षेत्रों में गश्ती करने का निदेश दिया गया। साथ ही, अन्य जिले से सटे क्षेत्रों में विशेष गश्ती अभियान संचालित करें तथा जगह जगह वाहनों की चेकिंग भी संचालित किया जाय।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक)

- **आसूचना संग्रहः**– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से थाना स्तर पर चौकीदारों तथा अन्य स्रोतों से हो रही गतिविधियों का सूचना संग्रहन करेंगे। साथ ही, असामाजिक तत्वों तथा संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति का पता लगायेंगे और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत स्तरीय तथा स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से नियमित संपर्क में रहेंगे तथा उनसे सूचना संग्रहित करेंगे एवं क्षेत्रों में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विशेषकर राष्ट्र विरोधी तत्व, अतिवादी तत्व के सक्रियता पर भी नजर रखेंगे।

(अनुपालनः– अनुमंडल पदा0/अनुमंडल पुलिस पदा0/ प्रखंड विकास पदा0/ अंचल अधिकारी)

- **सामुदायिक सहयोगः**– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने–अपने क्षेत्रों के सभी समुदाय के लोगों से संपर्क में रहेंगे तथा उनमें पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करेंगे एवं उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रशासनिक सहयोग हेतु सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेंगे तथा उनमें जागरूकता हेतु कार्यक्रम भी चलायेंगे।

(अनुपालनः– अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

- **संवेदनशील अवसंरचनाओं की सुरक्षाः**– उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने–अपने क्षेत्रों के महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं एवं संस्थाओं यथा–रेलवे स्टेशन, पावर सब–स्टेशन, दूरसंचार संस्थान, सरकारी संस्थान का निरीक्षण कर लें एवं संवेदनशील स्थलों तथा महत्वपूर्ण Installation को चिन्हित करते हुए सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य उपाय यथा CCTV, डॉग स्क्वाड आदि का उपयोग करें।

(अनुपालनः– अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

- **आपदा एवं संकट प्रबंधन** :– वर्तमान तनाव के मद्देनजर दंगा, प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी गतिविधि एवं Cyber incident से निपटने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर लें। वर्तमान परिस्थिति में असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस पर सतत् निगरानी रखने की आवश्यकता है। समुदायों के बीच परस्पर विश्वास कायम रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाना है, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को 24x7 सक्रिय अवस्था में रखें। साथ ही सेटेलाईट फोन को सुचारू एवं सक्रिय अवस्था में रखेंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।

(अनुपालनः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कटिहार)

- **संचार सुरक्षा तथा IT Surveillance** :– इस संबंध में जिला पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत् IT Manager/IT Assistant को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत कंट्रोल रूम में जाकर आवश्यक Monitoring कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की तकनीकि समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जा सके।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, IT Manager/IT Assistant)

- उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Social Media यथा WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram आदि पर दिये गये Fake News एवं रूढ़िवादी प्रसंगो पर विशेष नजर रखते हुए अविलंब संज्ञान लेंगे तथा नियमानुसार समुचित कार्रवाई संबंधित व्यक्ति तथा समूह पर करेंगे। साथ ही, अफवाहों को संचालित/प्रसारित करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों पर नजर रखेंगे।

(अनुपालनः– जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी तथा सभी थानाध्यक्ष, कटिहार)

- जिला में PD Cases में दिनांक–01.01.2025 से 30.04.2025 की अवधि में निष्पादित वादों का प्रतिशत मात्रा 14.96 है एवं BW निष्पादन का प्रतिशत 14.25 है। PD Cases, BW / DW Cases में तेजी लाने का निदेश दिया गया। SC/ST के मामलों में ससमय Charge Sheet दाखिल करने का निदेश दिया गया। Security Proceeding के तहत सभी थाना के स्तर पर वर्तमान सुरक्षा माहौल में Trouble Makers को चिन्हित करते हुए कार्रवाई (Bond Execution) करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल दंडाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत किये गये जितने बंध पत्रों में उल्लंघन हुये हैं, उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

• साम्प्रदायिक मामलों में पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सतर्क रहने का निदेश दिया गया। संवेदनशील स्थानों विशेषकर मंदिर, मस्जिद आदि की सूची तैयार कर Surveillance की व्यवस्था की जाय। स्थानीय स्तर पर चौकीदार को आवश्यक निगरानी हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया। धार्मिक स्थल के समक्ष आपत्तिजनक सामग्रियों को फेकने तथा साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास इस क्षेत्रों में पूर्व से रहा है। अतः इस पर पूरी निगरानी रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से समीक्षा कर पूरी निगरानी रखेंगे।

• समीक्षा बैठक में शस्त्र अनुज्ञप्ति दुकानों का सत्यापन, शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदनों का निस्तार, CCA के तहत दर्ज मामलों की स्थिति तथा वक्फ विरोध प्रदर्शन की Monitoring पर आवश्यक निदेश दिया गया।

8. **अग्निशमन** :– अग्निशमन पदाधिकारी, कटिहार को निदेश दिया गया कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति से निपटने हेतु अग्निशमन गाड़ियों तथा कर्मियों को सक्रिय रखेंगे। अग्निशमन कार्यालय के दूरभाष को 24X7 चालू रखेंगे। किसी भी स्थिति में अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु आवश्यक संसाधन जिला में उपलब्ध रखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/जिला अग्निशमन पदाधिकारी)

9. उत्पाद विभागः– समीक्षा के क्रम में उत्पाद विभाग के अधीक्षक को निदेश दिया गया कि जब्त वाहनों की नीलामी तथा जब्त शराब के विनिष्टीकरण विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत किया जाय।

10. जिला शिक्षा कार्यालयः– कटिहार जिलान्तर्गत शिक्षा विभाग में सेवान्त लाभ के 4 मामलें लंबित पाये गये जिसे नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से संबंधित लंबित वादों में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के 6 तथा एम0जे0सी0–1 मामला लंबित है जिसपर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। **(अनुपालनः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार)**

11. चिकित्सीय व्यवस्थाः– सिविल सर्जन, कटिहार को निदेश दिया गया कि किसी भी आपातकालीन अवस्था से निपटने हेतु सदर अस्पताल सहित सभी अस्पतालों को 24X7 सभी प्रकार की दवाओं, चिकित्साकर्मी एवं पारा मेडिकल स्टॉफ के साथ सक्रिय रखेंगे। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि पर्याप्त मात्राा में ऑक्सीजन एवं रक्त प्लाज्मा की व्यवस्था भी रखेंगे। सभी एम्बुलेंस को सक्रिय, सुचारू एवं चलायमान अवस्था में रखेंगे।

(अनुपालनः– सिविल सर्जन, कटिहार)

12. **परिवहन विभागः**– विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन (बाल परिवहन) के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर समिति का गठन, विद्यालय वाहन जाँच की स्थिति तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। बाल परिवहन के संबंध में जिला स्तरीय समिति का बैठक प्रत्येक तीन माह पर करने का निदेश दिया गया। दिनांक–20.02.2025 को हुए प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति की बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार)

13. **पंचायत सरकार भवनः**–कटिहार जिला अंतर्गत कुल आवंटित पंचायत सरकार भवन–231 हैं, जिसमें 40 पूर्ण पंचायत भवन, 145 निर्माणाधीन तथा 46 में से 35 का भूमि चिन्हित किया गया है, 11 हेतु भूमि अप्राप्त है। इस संबंध में लंबित मामले का निष्पादन कराते हुए कार्य प्रारंभ करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार)

14. केन्द्रीय कारा, कटिहार में कैदी क्षमता, बैरक की स्थिति, रसोई तथा अन्य के संबंध में समीक्षा की गयी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अधीक्षक को निदेश दिया गया कि जेल के अंदर की गतिविधियों पर विशेष रूप से सतर्क रहा जाय। **(अनुपालनः–अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार)**

15. कार्यालयों की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण :– समाहरणालय स्थित कार्यालय का साफ–सफाई तथा रंग रोगन का निरीक्षण किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। कार्यालय को सुव्यवस्थित रखें, अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाएं, पुरानी संचिका को अलग रखें तथा महत्वपूर्ण संचिका सुरक्षित रखा जाय।

16. जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा नगर निकाय के कार्यालय का निरीक्षण वरीय पदधिकारी के माध्यम से समय–समय पर कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। आवासीय विद्यालयों का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी, कटिहार)

17. मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा मंगलवारीय VC के माध्यम से की जा रही समीक्षा में कटिहार जिला के संदर्भ में निम्नांकित बिन्दु पर ध्यान देने की आवश्यकता है :–

(क) बिहार अपराध अधिनियम की धारा–3(3) के अंतर्गत कटिहार जिला पदाधिकारी के पास कुल 08 प्रस्ताव लंबित है। लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(ख) आयुध अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत विनिर्माण ईकाई/शस्त्रों प्रतिष्ठान/दुकानों के शस्त्रों एवं कारतूस के छः माही निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन तथा जब्त अवैध शस्त्रों की विवरणी विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

(ग) आयुध अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत जब्त अवैध शस्त्रों की विवरणी विभाग को अबतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(घ) कटिहार में भूमिहीन थाना के भवन निर्माण हेतु रेल थाना, मनिहारी के अर्न्तविभागीय भूमि हस्तांतरण/सतत् लीज का प्रस्ताव/भू–अर्जन का प्रस्ताव विभाग को अप्राप्त है। कटिहार में भूमिहीन अग्निशामालय के भवन निर्माण हेतु मनिहारी के अर्न्तविभागीय भूमि हस्तांतरण/सतत् लीज का प्रस्ताव/भू–अर्जन का प्रस्ताव विभाग को अप्राप्त है।

(ड.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी एवं माननीय न्यायालय में समर्पित आरोप पत्रों पर मुआवजा स्वीकृति हेतु लंबित मामलों का शीघ्रता से निष्पादन किया जाय।

(च) समाज कल्याण विभागः– समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु रोस्टर अनुमोदन के स्तर पर लंबित है। अल्पावास गृह का कार्य लंबित पाया गया। जिला में टेक होम राशन वितरण हेतु Facial Recognition System की प्रगति का प्रतिशत 37 है, जो कम है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल सुविधा/शौचालय सुविधा राज्य के औसत से काफी कम है।

(छ) सामान्य प्रशासन विभागः– रोजगार सृजन से संबंधित समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न संवर्गो में रिक्ति से संबंधित अधियाचना विभाग को ससमय उपलग्ध कराया जाय। बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित कटिहार जिला में 02 परिवाद/आरोप लंबित है। उक्त मामलों की सुनवाई पूरी कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अन्यान्य :– बैठक में Specific रूप से परिलक्षित निम्नांकित बिन्दु पर कार्रवाई का निदेश दिया गया :–

(1) डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त वास भूमि का आवेदन आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारित कराकर अनुमान्य परिवारों को सरकार के निदेश के आलोक में वास भूमि उपलब्ध कराया जाय। तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाय। इस कार्य को सफलता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को कार्यभारित किया जाता है।

(2) यह पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति के उपरांत प्रथम किस्त के भुगतान में काफी अधिक मामला लंबित है। यह बताया गया कि अन्य तकनीकी कारणों के साथ साथ एक ही व्यक्ति के कई आधार कार्ड होने के मामला दृष्टिगत पाया गया है। तकनीकी कारणों का शीघ्र निस्तार कराते हुए प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जाय। अवैध रूप से Multiple आधार कार्ड के मामलों की जाँच कराते हुए उक्त गैर कानूनी कार्य के लिए दोषी लोगों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(3) उप विकास आयुक्त, कटिहार को आदेश दिया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की विशेष रूप से समीक्षा करें। तथा मुख्य सचिव महोदय के सप्ताहिक Video Conferencing में चिन्हित लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करावें।

(4) बाढ़ कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वासन हेतु जमीन उपलब्ध कराने की गति काफी धीमी है। संबंधित अपर समाहर्त्ता इस पर विशेष ध्यान देते हुए नियमानुसार समुचित रूप से प्रस्ताव तैयार कराते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें और समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

Sumant

ज्ञापांक 3370 /   पूर्णिया, दिनांक 03-06-25

प्रतिलिपि :— 1. जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, राजस्व/अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सिविल डिफेंस कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/समादेष्टा, अग्निशमन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. कटिहार जिलान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय तथा संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajek.
03/6/2025
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

Sumant

o/c